कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – उनि/सशि/निशु/पापु/विविध/2019–20/277 दिनांक – 25/09/2020

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

विषय :– **शैक्षिक सत्र 2020–21 में राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क पाठय पुस्तकों के विद्यार्थी/अभिभावकों को वितरण के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड–19 की गाईडलाईन की पालना करते हुए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरण के निर्देश दिये गये थे।

शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अब तक 83 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। अब भी 12 जिलों में विद्यार्थी वितरण औसत से कम है। सभी पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण किया जाना है। इस संबंध में अग्रांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावें।

1. जिला, ब्लॉक स्तर, पीईईओ/शहरी नोडल विद्यालयों द्वारा नियमित एवं प्रभावशाली प्रबोधन।
2. निःशुल्क पाठय पुस्तकों की जिला एवं ब्लॉक स्तरीय विद्यार्थी वितरण रिपोर्ट का अवलोकन करें तथा निःशुल्क पाठय पुस्तके कम वितरण करने वाले ब्लॉक/विद्यालयों पर विशेष ध्यान देवें। इस संबंध में संबंधित प्रभारी से मोबाईल/दूरभाष/व्हाटस एप एवं एसएमएस द्वारा वार्ता करें अथवा संदेश प्रेषित करें।
3. जिन विद्यालयों में निःशुल्क पाठय पुस्तकों का विद्यार्थी वितरण न्यून/अथवा शून्य है, उन संस्था प्रधानों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
4. वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में जुलाई –अगस्त के नामांकन के अनुसार विद्यार्थियों हेतु खाद्यान वितरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ समन्वय बनाकर निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण किया जाए।
5. निःशुल्क पाठय पुस्तकें विद्यार्थियों/अभिभावकों वितरण के साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठय पुस्तकें के मॉड्यूल में प्रविष्टि की जाये।
6. गत वर्ष विद्यार्थियों को वितरित पाठ्य पुस्तकों में से, विद्यार्थियों के अध्ययन उपरांत लौटायी गई 50 प्रतिशत पुरानी पाठय पुस्तकें उपयोग ली जाती है। इस क्रम में गत वर्ष विद्यार्थियों को वितरित शत प्रतिशत पाठ्य पुस्तकें प्राप्त की जाये तथा आवश्यकता होने पर सही स्थिति वाली 50 प्रतिशत से अधिक पुरानी पाठ्य पुस्तकों (जिनका पाठ्यक्रम नवीन शैक्षिक सत्र के अनुरूप हो) का उपयोग किया जाए।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. समस्त मंडल संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा राजस्थान।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक(मुख्यालय)।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर